ग्राम पंचायत घलौर, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक

1 प्रस्तावना:-

(क) ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत घलौर, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान :-

क्र. सं.	नाम	अवधि
1	श्रीमती सुरेश कुमारी	1-04-2013 से 22-01-2016
2	श्री सुभाष चंद	23-01-2016 से 31-03-2016

सचिव :-

क्र. सं.	नाम	अवधि
1	श्री राकेश कुमार	1–04-2013 से 31-03-2016

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत घलौर के लेखाओं अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि
1	5	प्राप्त अनुदान से अधिक व्यय	35337
2	7	ब्याज अंतरित न करना	24810
3	8	गृहकर की लम्बित वसूली	6090
4	9	निर्माण कार्य में अधिक मदों का उपयोग करना	18429
5	10	मूल बिल /रसीद अभिलेख में न होना	62782

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत घलौर , विकास खण्ड देहरा , जिला काँगड़ा के अवधि 4/2013 से 03/2016

तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह , अनुभाग अधिकारी व श्री जीवन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 3-6-2016 से 8-6-2016 तक खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय मे किया गया । लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2013-14	03/2014	01/2014
2014-15	03/2015	11/2014
2015-16	03/2016	01/2016

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत घलौर ,विकास खण्ड देहरा , जिला काँगड़ा के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि ₹7200/- को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 129/2016 दिनांक 8-6-2016 द्वारा अनुरोध किया गया| सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि पंजाब नेशनल बैंक के बैंक ड्राफ्ट संख्या: 545412 दिनांक 16-06-2016 द्वारा भेज दी गयी है|

4 वितीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत घलौर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) <u>स्व स्त्रौत :-</u>ग्राम पंचायत घलौर के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	254194.16	78870	333064.16	38438	294626.16
2014-15	294626.16	108382	403008.16	82747	320261.16
2015-16	320261.16	67907	388168.16	6256.5	381911.66

(2) अनुदान :- ग्राम पंचायत घलौर के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है , जिसका विस्तृत विवरण संलग्न

परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	681391	2044095	2725486	2288717	436769
2014-15	436769	2242103	2678872	1622601	1056271
2015-16	1056271	2763990	3820261	2338216	1482045

4.1 बैंक समाधान विवरणी :- ग्राम पंचायत घलौर की रोकड़ वही तथा बैंक जमा में दिनांक 31-03-2016 को 2000 रुपये का अंतर था जिसका समाधान विवरण परिशिष्ट-(ii) पर लगाया गया है|

1 रोकड़ वही खाता "क" पैरा 4(2) का अन्तशेष		381911.66
2 रोकड़ वही खाता "ख" पैरा 4(2) का अन्तशेष		1482045
	योग	1863956.66

अन्तशेष का विवरण

क्रम संख्या	बैंक का नाम	बचत खाता संख्या	राशि
1	पंजाब नेशनल बैंक घलौर	213700010022372	1251491.5
2	पंजाब नेशनल बैंक घलौर	2137000101037779	50886
3	पंजाब नेशनल बैंक घलौर	2137000101030989	0
4	काँगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक सीमीत देहरा	20008005864	417499
5	हिमाचल ग्रामीण बैंक, देहरा	87860100044844	30499
6	हिमाचल ग्रामीण बैंक, देहरा	87860101831779	0
7	डाकघर घलौर	8518263197	8143
8	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देहरा	32504336500	102519
		योग	1861037.5
10	हस्तगत राशि		919.16
		कुल योग	1861956.66

अन्तर;- 1863956.66-1861956.66=2000 रूपये

5 प्राप्त अनुदानों की राशि से 35357 रुपये का अधिक व्यय

सचिव ग्राम पंचायत घलौर द्वारा उपलब्ध करवाए गये आंकड़ो तथा वितीय स्थिती परिशिष्ट के अनुसार अनुदान में दिनांक 31-03-2016 को निम्नानुसार 35357 रुपये की राशि ऋणआत्मक दर्शाई गयी है| जो कि किसी अन्य योजना के व्यय का लेखांकन मनरेगा फोटोग्राफी; प्रतिभूति बिजली मीटर तथा एन सि अनुदान में अथवा किसी अन्य योजना से

भुगतान करने के फलस्वरूप है| इस चूक का नियामानुसार निराकरण सुनिश्चित करके अनुपालना से अवगत करवाएं|

1 मनरेगा फोटोग्राफी	-6360
2 एन सि	-28842
3 प्रतिभूति बिजली मीटर	-155
योग	-35357 रुपये

6 **निर्धारित बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म , कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

7 **खाता (ख) के ब्याज ₹24810 को खाता (क) में अंतरित न करना ;-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार प्रतिवर्ष मास जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता "ख" से अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता क में अंतरित किया जाना अपेक्षित है| परन्तु ग्राम पंचायत के खातो की जाँच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रहीं है तथा निम्नानुसार अनुदानों पर प्राप्त ब्याज राशि को स्वयं संसाधनों के खाता क में 24810 रुपये अंतरित किया जाना था परन्तु नहीं किया गया|

अत; इस बारे उचित स्पष्टिकरण प्रस्तुत करते हुए तुरंत अब तक खाता ख के बैंक खातों में अर्जित ब्याज को खाता क में अंतरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए|

मास	मनरेगा	आई डबलू ऍम पी	डव्लू डी एफ	ब्याज राशि
6/2013			362	362
9/2013	40	5126		5166
12/2013			577	577
3/2014	1436	2456		3892
6/2014			614	614
9/2014	33	1455		1488

12/2014			615	615
3/2015	87	4111		4198
6/2015			1321	1321
9/2015		3140		3140
12/2015			1811	1811
3/2016		1626		1626
			योग	24810

8 **पंचायत राजस्व की वसूली :-**

पंचायत सचिव घलौर द्वाराउपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2016 तक पंचायत राजस्व की लम्बित वसूली 6090 रुपये थी|

गृहकर :

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013-14	0	21130	21130	21130	0
2014-15	0	21130	21130	17850	3280
2015-16	3280	21130	24410	18320	6090

(2).हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फॉर्म 10 पर पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था| अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया| अत: गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार **अभिलेख तैयार करना** सुनिश्चित **किया जाए|**

9 **GENERALCASH BOOK**

निर्माण कार्य में ₹18429 रुपये की मदों का अधिक प्रयोग करना|

वाउचर संख्या	**मास 1/2014**	**(i)6378रुपये** **(ii)6786रुपये**
निर्माण कार्य का नाम	**C/OPucca Road to Harijan Basti Balian.**	
एजेंसी	**ग्राम पंचायत घलौर**	
मापन पुस्तिका संख्या	**6290 पृष्ठ 52 से 58**	

ग्राम पंचायत घलौर के तकनीकी सहायक द्वारा निर्माण कार्य की assesmentमापन

पुस्तिका 6290 के पृष्ठ 52 से 58 पर दर्ज की गयी| पंचायत द्वारा निर्माण के लिए निम्नानुसार सामग्री जारी की गयी जिसका विवरण फॉर्म 34 में दिया गया था|

(i1) बजरा	79.58 घन मीटर
(2ii) बोल्डर स्टोन	42.76 घन मीटर
(iii3) बजरा	33.13 घन मीटर
(4iv) रेत	28.28 घन मीटर
योग	183.75 घन मीटर

जबकि जांच में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के sc Sehedule of rate 2009 जिसकी अनुपालना पंचायत में भी की जा रही है के अनुसार जिन मदों का निर्माण स्थल पर निष्पादन किया गया उनमें निम्नानुसार मदों का प्रयोग किया जाना था जिनकी मात्रा घन मीटर में दर्शाई गयी है|

मद का नाम	निष्पादित मात्रा	रेत	बजरी	बोल्डर
1:6:12	31.44	14.77	27.98	
1:2:4	cc 37.32	16.60	33.21	
1:4:8	cc 6.30	2.96	5.60	
cc 1:5:10	17.31	8.13	15.40	
Bolder filling	40.46			
	योग	42.46 m3	82.19 m3	40.46 m3

<u>सामग्री</u> का कुल योग = 42.46+82.19 +40.46=165.11 घन मीटर

अत: उपरोक्त विवरण से स्वत: स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी की गयी मदों तथा वास्तव में प्रयोग होने वाली मदों में 18.64 घन मीटर (183.75-165.11) अर्थात 658.17 घन फुट का अंतर है जिसके बारे में नियमानुसार अवगत करवाएं अन्यथा 28 रुपये प्रति घन फुट की दर से 18429 रुपये (658.17*28) की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित की जाए|

10 **<u>IWMP CASH BOOK</u>**

<u>वाउचर संख्या 4 मास 11/2014 राशि 62782 रुपये</u>

उध्यान विभाग देहरा से फलदार पौधों के क्रय करने के लिए 62782 रुपये का भुगतान किया गया परन्तु उक्त विभाग से प्राप्त किया गया मूल बिल तथा रसीद अभिलेख में उपलब्ध न था जिसके अभाव में भुगतान को उचित नहीं ठहराया जा सकता| अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा रु62782 की वसूली संबन्धित से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत किया जाए|

11 मापन पुस्तिकाओं का सत्यापन न करना :-

ग्राम पंचायत घलौर की मनरेगा अनुदान के अंतर्गत करवाए गये कार्यों के मूल्यांकनों की मापन पुस्तिकाएं तकनीकी सहायकों द्वारा लिखी गयी परन्तु मापन पुस्तिका में नियमानुसार किसी भी अधिकारी द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन नहीं किया गया और न ही test check किया गया| अत :उक्त के अभाव में मुल्यांकन तथा भुगतान का ओचित्य स्पष्ट किया जाए|

12 अदायगी आदेश (पे आर्डर) के बिना भुगतान करना ;-

ग्राम पंचायत के भुगतान वोउचरों की जाँच में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 49(1)व (2) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किसी वाउचर के लिए नकद मे या चेक द्वारा कोई भी संद्य तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि यह ग्राम पंचायत के प्रधान और पंचायत के सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए सयुंक्तत ; हस्ताक्षरित अदायगी धारित नही करता है | जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा संयुक्त भुगतान आदेशों के बिना ही भुगतान किया गया जो कि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है| अत; नियमों के विपरीत भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही भुगतान करना सुनिशित किया जाए|

13 मस्टररोल पर संख्या दर्ज न करना तथा मस्टररोल रजिस्टर तैयार न करना :-

ग्राम पंचायत घलौर द्वारा लाखों रुपये के निर्माण कार्य मजदूरों से करवाए गये तथा उन्हें मस्टररोल पर भुगतान किया गया परन्तु मस्टरोल पर न तो मस्टरोल संख्या दर्ज की गयी और न ही उन्हें मस्टरोल इशू रजिस्टर में दर्ज किया गया | अत: उक्त के अभाव में भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए|

14 विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103
4	मासिक समाधान विवरणी	15(1)	
5	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
6	मांग एवम् प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
8	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)

9	**स्थाई एवम अस्थाई भंडार रजिस्टर**	**25 व 26**	**72(1)**
10	**निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर**	**31**	**95(1)**

अत: इन अभिलेखों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए|

15 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 लघु आपति विवरणिका:-

इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

17 निष्कर्ष :- ग्राम पंचायत द्वारा विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना लेखे के प्रति उदासीनता को ही दर्शाता है जिसे विशेष रूप से उच्च अधिकारियों **के ध्यान में लाया जाता है , तथा सुझाव दिया जाता है कि वह ग्राम पंचायत धलौर को नियमानुसार अभिलेख का रख रखाव करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए जाएँ।**

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(2) 3/2016–खण्ड–1 दिनाँक शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत **घलौर**, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता/—
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.